



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012023-242157
CG-DL-E-21012023-242157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023

का.आ. 367(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-727B(तमकुही राज से सलेमपुर) के कि.मी 37.800 से 52.655 तक उत्तर प्रदेश राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में सड़क निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारि को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारि के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-727B पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप भूमि अध्यापित अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	देवरिया	सलेमपुर	1 मझौली

	देवरिया	NH-727B के कि.मी. 37.8 से 52.655 तक			भाटपाररानी	1	मल्हना
						2	क्षत्रपुरा
						3	भिंगारी
						4	छपिया
						5	सिरसिया मिश्र
						6	खामपार
						7	टेंगरी
						8	भटवा तिवारी
						9	बड़कागाँव
						10	छोटकागाँव
						11	जसुई
						12	विशुनपुरा
						13	पकड़ी बाबू

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-727B/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2023

S.O. 367(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction to 2 laning with paved shoulders of km. 37.8 to 52.655 of NH-727B(Tamkuhi Raj to Salempur) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH-727B in the State of UTTAR PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Dy Land Acquisition officer, Deoria	37.8KM To 52.655KM	UTTAR PRADESH	DEORIA	Salempur	1 Majhauri
					Bhatprarani	1 Malhana

						2	Chhatrapura
						3	Bhingari
						4	Chhapiya
						5	Sirsiya Mishra
						6	Khampar
						7	Tengri
						8	Bhathwa tiwari
						9	Badkagaon
						10	Chhotkagaon
						11	Jasui
						12	Vishunpura
						13	Pakdibabu

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-727B/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director